



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 732/129/विज्ञापन/2008

रायपुर, दिनांक 17/07/2009

शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2009/चयन/दिनांक 17/07/2009

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा "होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी" के क्रमशः 36 एवं 21 रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रेषित मांग-पत्र के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/2009/चयन/दिनांक 03.07.2009 जारी किया गया है, जिसका "रोजगार और नियोजन" के अंक दिनांक 08.07.2009 में प्रकाशन हुआ है। उक्त विज्ञापन की कंडिका-8.8 में यदि अभ्यर्थी शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण अधिकतम आयु में छूट चाहता है तो इस विज्ञापन के साथ संलग्न "प्रपत्र-एक" में जारी किए गए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, का उल्लेख है। मूल प्रकाशित विज्ञापन के साथ प्रपत्र-एक त्रुटिवश प्रकाशित नहीं हो सका है। अतः "प्रपत्र-एक" इस शुद्धि-पत्र द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है:- अभ्यर्थी इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं।

2/ आयोग द्वारा पूर्व में प्रसारित विज्ञापन दिनांक 08.07.2009 की शर्तें यथावत रहेगी।

हस्ता/-

सचिव

छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
रायपुर

“प्रपत्र-एक”

शासकीय होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सालय या औषधालय में होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी
के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप

कार्यालय

क्रमांक /200

दिनांक :.....

अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/.....

..... पिता/पति का नाम निवास ग्राम/नगर

..... तहसील जिला के हैं,

जो कि दिनांक से दिनांकतक (कुलवर्षमाह)

इस शासकीय होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सालय या औषधालय में होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी के
पद पर कार्य किए हैं/कर रहे हैं।

हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी

होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सालय/औषधालय

.....
चिकित्सालय/औषधालय की मुहर